6/2016/संख्या-229/94-स्टा0नि0-2015-700(01)/2015

प्रेषक,

अनिल कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा म,

1. महानिरीक्षक निबन्धन,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।
2. समत मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश ।

स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक 29 फरवरी, 2016

विषय- स्टाम्प वादों की समाधान योजना के सम्बन्ध में।

महोदय,

आप अवगत है कि शासनादेश संख्या-24/2015/1063/94/स्टा0नि0-2015-700(01)/2015 दिनांक 4 नवम्बर, 2015 द्वारा स्टाम्पवादों के त्वरित निस्तारण, उनमें निहित स्टाम्प कमी की धनराशि शीघ्रातिशीघ्र प्राप्त करने एवंज जन-सामान्य को अधिकाधिक सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से शासन द्वारा दिनांक 29.02.2016 की अवधि तक स्टाम्प कमी के वादों की समाधान योजना लागू की गयी थी।

उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य में विभिन्न स्रोतों से प्राप्त सुझावों के अनुरूप शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त उक्त योजना को दिनांक 31.03.2016 तक विस्तारित किया जाता है एवं दिनांक 31.10.2015 तक योजित स्टाम्प कमी के वादों के अतिरिक्त उसके उपरान्त अद्यतन अवधि तक योजित वाद भी इस योजना के अन्तगत निस्तारित किये जायेंगे।

उपरोक्त योजना के अन्तगत शेष शर्ते पूर्ववत् रहेगी।

भवदीय,
(अनिल कुमार)
प्रमुख सचिव।

संख्या एवं दिनांक उपरोक्तानुसार

प्रतिलिपि निम्न्लिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1) अध्यक्ष, राजस्व परिषद, उ0प्र0 को इस आशय से प्रेषित कि कृपया समस्त सी0सी0आर0ए0 को भी उपरोक्त से अवगत कराने का कष्ट करें।
(2) समस्त अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व), उत्तर प्रदेश।
(3) समस्त उप महानिरीक्षक निबन्धन/उपायुक्त स्टाम्प, उत्तर प्रदेश।
(4) समस्त सहायक महानिरीक्षक निबन्धन/सहायक आयुक्त स्टाम्प, उत्तर प्रदेश।

(सुधीन्द्र कुमार)
संयुक्त सचिव